संख्या-175/2016-1906/नौ-5-16-345बजट/2014

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 29 जून, 2016

विषय:: वित्तीय वर्ष 2016-2017 में जनपद इलाहबाद में इलाहाबाद लखनऊ राजमार्ग के किमी 33.00 पर मम्फोर्डगंज में पी0आर0बी0 रेगुलेटर निर्माण हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-79/नागर'2/033-410/16 दिनांक 07.04.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जनपद इलाहबाद में इलाहाबाद लखनऊ राजमार्ग के किमी 33.00 पर मम्फोर्डगंज में पी0आर0बी0 रेगुलेटर निर्माण की निर्धारित लागत रू0 78.18 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 39.09 लाख की धनराशि संख्या- 233 /2015-3297/नौ-5-15-345बजट/2014 दिनांक 09.7.2016 द्वारा अवमुक्त की गयी है, का व्यय हो जाने के आलोक में संलग्न बी0एम0 प्रपत्र-9 के अनुसार रू0 39.09 लाख (रू0 उन्तालीस लाख नौ हजार मात्र) को द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित की जाय तथा प्रायोजना में सम्मिलित समस्त कार्यो का नियमानुसार सिंचाई विभाग द्वारा ही किया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नहीं किया जायेगा।

(4) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्रविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनदेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(8) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

go finance mangal font

(9) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चत किया जाय।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण् इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-02-जल-मल तथा सफाई-193-नगर पंचायतों/ अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय -0401-नगरीय निकायों के सीवरेज कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान से आहरित कर लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-02-जल-मल तथा सफाई-191-नगर निगमों को सहायता-041-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के सीवरेज कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान"के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव ।

संख्या-175/2016- 196 (1)/नौ-5-16-345बजट/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ /इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, कलेक्टेट कम्पाउण्ड लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5 प्रमुख् सचिव, सिंचाई विभाग उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7. मुख्य अभियंता,(इलाहाबाद क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद।
8 महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद।
9 अधिशासी अधिकारी, सिंचाई कार्य मण्डल, इलाहाबाद।
10. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम इलाहाबाद ।
11 नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद।
12 वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2 (तीन प्रतियों में)
13 गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव ।

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

अनुदान संख्या व नाम- अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग, वित्तीय वर्ष 2016-17

(धनराशि हजार रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवदेन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
"2215- जल पूर्ति तथा सफाई 02-मल जल तथा सफाई-193-नगर पंचायतों /अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04 उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के सीवरेज कार्यों हेतु-35- पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान"	200000	3909	3909	3909	196091
योग	200000	3909	3909	3909	196091

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान, विनियोग (8+11
7	8	9	10	11	12
"2215-जल पूर्ति तथा सफाई-02-मल जल तथा सफाई-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के सीवरेज कार्यों हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान"	150000	153909	3909	3909	153909
योग	150000	153909	3909	3909	153909

स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है-:

(1) परिपक्व प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण बचतें हो रही है।

(2) स्तम्भ 8-में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ 9-में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है -:

नगर निगम के माइनर हेड में सीवरेज कार्य हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण परिपक्व प्रस्ताव के सापेक्ष अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0संख्या- 31-ई-8-1443 /दस-2016, दिनांक 21 जून, 2016

सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव,
नगर विकास विभाग।

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या-1996 (1)/नौ-5-2016-345बजट/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ /इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, कलेक्टेट कम्पाउण्ड लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रमुख् सचिव, सिंचाई विभाग उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7. मुख्य अभियंता,(इलाहाबाद क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद।
8. महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद।
9. अधिशासी अधिकारी, सिंचाई कार्य मण्डल, इलाहाबाद।
10. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम इलाहाबाद ।
11. नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद।
12. वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2 (तीन प्रतियों में)
13. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-22/06/2016

प्रेषण संख्या:- 175

आवंटन आदेश संख्या:- 001-175-2016-1906-9-5-16-345B-2014

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

191 - नगर निगमों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय निकायों को सीवरेज कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	3909000 151093000	3909000 151093000
	योग	वर्तमान प्रगामी	3909000 151093000	3909000 151093000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया उनचालीस लाख नौ हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पन्द्रह करोड़ दस लाख तिरानवे हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी